355

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – 2017/पुनरीक्षण

निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4290

नवीन प्र. 4290/2017

(1) लच्छो-बाई पत्नी श्री गुच्छन बाई, उम्र 50 वर्ष, व्यवसाय– गृहणी

(2) कमल सिंह पुत्र श्री बुद्धू सिंह, उम्र 50 वर्ष व्यवसाय कृषि

(3) हीरा लाल पत्नी श्री बुद्धू सिंह, उम्र 48 वर्ष, व्यवसाय कृषि

निवासीगण– ग्राम रूसिाया, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा।

.... निगरानीकर्तागण

दिनांक 6-11-17 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत/
6-11-17
पे० दि० 10-11-17

Noted
10/11/17

बनाम

1. मुन्नी बाई बेवा श्री गुलाब सिंह
2. अशोक सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह
3. यशवंत सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह
4. कपूर चंद पुत्र श्री गुलाब सिंह
5. क्रान्ति सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह

निवासीगण– ग्राम रूसिाया, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा।

...गैर निगरानीकर्तागण

औपचारिक पक्षकार

1. स्टीफनपुत्र श्री गुलाब सिंह, उम्र 30 वर्ष
2. राम सिंह पुत्र श्री फूल सिंह
3. मोहर सिंह पुत्र श्री फूल सिंह
4. महेश पुत्र श्री फूल सिंह
5. बापू पुत्र श्री फूल सिंह
6. इराज पुत्र श्री बुद्धू सिंह
7. अमर सिंह पुत्र श्री बुद्धू सिंह
8. पहलवान सिंह पुत्र श्री बुद्धू सिंह

समस्त निवासीगण– ग्राम रूसिाया, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा।

(3)

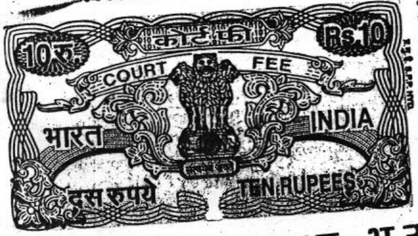

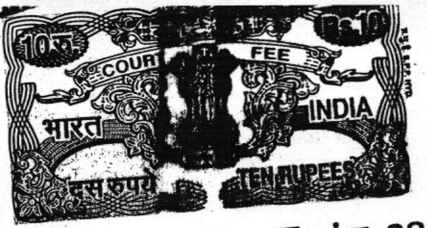

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. विरूद्ध आदेश दिनांक 28.08.2017 न्यायालय माननीय नायब तहसीलदार महोदय, कुरवई जिला विदिश द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 25/अ–27/17 मुन्नी बाई व अन्य बनाम अमर सिंह व अन्य में पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत है।

श्रीमान् महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य

सेवा में निगरानीकर्तागण की ओर से आवेदन निम्न प्रकार पेश है:–

1. यहकि, गैर निगरानीकर्तागण द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 178 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत वास्ते खाते का विभाजन हेतु माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार कुरवई के समक्ष पेश किया गया था। उक्त भूमि का विवरण निम्नानुसार है – यहकि, ग्राम कच्छपुरा तह. कुरवई में स्थिति शामलाती खाते की भूमि सर्वे नम्बरान 1 रकवा 4.547 है. 43 रकवा 5.426 है. 49/2 रकवा 0.427 है. 50/1 रकवा 4.778 है, 50/2 रकवा 0.991 है. 51/1 रकवा 2.456 है. 51/2 रकवा 0.836 है, कुल किता 7 कुल रकवा 19.461 है के सम्बन्ध में गैर निगरानीकर्तागण द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 178 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के संबंध में आवेदन दिया गया, उक्त आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् माननीय न्यायालय तहसीलदार कुरवई द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण क्रमांक 25/अ–27/17 (मुन्नीबाई व अन्य बनाम अमर सिंह व अन्य)।

2. यहकि, निगरानीकर्तागण को जब यह मालूम हुआ कि गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार कुरवई के समक्ष उक्त आवेदन अन्तर्गत धारा 178 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विचाराधीन है तभी निगरानीकर्तागण द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। क्योंकि विवादित जमीन पुश्तैनी है। परन्तु उक्त आवेदन को माननीय नायब तहसीलदार द्वारा विधि के विरूद्ध होते हुये निरस्त किया गया।

... सर्वप्रथम सिविल न्यायालय वर्ग–1 कुरवई के

(355)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4290

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरशद अली उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	